25/5/21	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप.। प्रा.पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली नंबर से दर्ज हो। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2023/78

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

अभिषेक आदि बनाम रामकुमार व अन्य

किस्म मुकदमा:–212 आर0टी0ए0 प्रकरण संख्या:–93/2023 GCMS:-2023/78

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.05.2026	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या–1 के नाम से संयुक्त खाता की भूमि तहसील सूरतगढ़ के वाके चक 5 बी.जे.डब्लयू.–ा के खाता संख्या 33/34 की कुल 17.890 हैक्टर कमाण्ड/अ0क0 मय खाला भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण के परदादा हीरा वल्द केसु जाति जाट भादू के नाम रोही किशनपुरा के खसरा संख्या 371 में 122.07 बीघा खातेदारी रकबा था। जिसमें से 25.00 बीघा रकबा रूघदास वल्द बालदास को बेचान कर दिया शेष रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड था। प्रार्थीगण के परदादा के फौत होने पर हीरा के वारिस यानि प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के दादा भादरराम व दादी सुगनीदेवी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हुआ। प्रार्थीगण के दादा भादरराम के फौत होने पर वारिसान के नाम विरास्तान इंतकाल दर्ज हुआ। प्रार्थीगण के दादी के द्वारा प्रार्थीगण के पिता व पिता के भाईयों के पक्ष में दान पत्र निष्पादित करवाया जो कि प्रार्थीगण की दादी की भी उक्त रकबा विरास्तन प्राप्त था। इसलिये उक्त दान पत्र से प्राप्त रकबा भी विरास्तन प्राप्त रकबा है। इस प्रकार उक्त रकबा जो अप्रार्थी नं. 1 को प्राप्त हुआ है। वह विरास्तन प्राप्त हुआ है। अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा ऐलानिया धमकी दी गई कि वे उक्त रकबा को बैय, रहन एवं दिगर तरीकें के हस्तातंरण कर देगें। यदि अप्रार्थीगण ने ऐसा कर दिया तो प्रार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर जैरवाद भूमि में से 1/4 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा खातेदारी भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें एवं रहन, बैय तथा हस्तातंरण ना करने हेतु पाबंद किया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 1–2–5 ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला नही बनता है। प्रार्थीगण की दादी के द्वारा प्रार्थीगण के पिता व पिता के भाईयों के पक्ष में दान पत्र निष्पादित करवाया गया है जो कि प्रार्थीगण की दादी को उक्त रकबा विरास्तन प्राप्त था। इसलिये उक्त दान पत्र से प्राप्त रकबा भी विरास्तन प्राप्त रकबा है। अप्रार्थी संख्या–1 व अन्य भाईयों को जो रकबा पिता से प्राप्त हुआ है वह रकबा 1.277 हैक्टर बनता है वह विरास्तन प्राप्त है। इसके अलावा दादी द्वारा जो रकबा दान पत्र में दिया गया है वह रकबा अप्रार्थी नं. 1 का स्वअर्जित रकबा है। प्रार्थीगण को विरास्तन में अप्रार्थी संख्या–1 के नाम जमाबंदी में अंकित 1/4 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा हिस्सा में ना आकर जो हिस्सा मुझ अप्रार्थी नं. 1 को पिता से 1.277 हैक्टर जो प्राप्त हुआ है उसमें प्रार्थीगण का 2/3 हिस्सा बनता है। प्रार्थीगण का प्रकरण साबित नही होता है। झुठे तथ्य प्रस्तुत किये हुए है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जावे।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.05.2026	पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। तहसील सूरतगढ़ के चक 5 बी.जे.डब्लयू.–ा की जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 74 के खाता संख्या 33/34 की कुल 17.890 हैक्टर खातेदारी भूमि में अप्रार्थी सं. 1 के नाम 1/4 हिस्सा यानि 4.4725 हैक्टर भूमि अंकित है। अप्रार्थी संख्या–1 ने बताया है कि अप्रार्थी संख्या–1 व उसके भाईयों को पिता से 1.277 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई है, वह विरास्तन प्राप्त रकबा है। शेष रकबा दादी से प्राप्त दान पत्र में दिया गया है वह रकबा अप्रार्थी संख्या 1 का स्वअर्जित रकबा की श्रेणी में आती है। किन्तु पत्रावली में प्रार्थी व अप्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थी संख्या–1 को अपने पिता से कितना रकबा प्राप्त हुआ है? एवं अपनी दादी से जरिये दान पत्र कितना रकबा प्राप्त हुआ है? अप्रार्थी संख्या–1 की भूमि में प्रार्थीगण का हक बनता है या नही? यदि हक बनता है तो कितनी भूमि पर बनता है? यह समस्त तथ्य वाद पत्र में जवाब दावा आने एवं साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त तय होना है। यदि इससे पूर्व भूमि का हस्तातंरण हो जाता है तो वादी का मूल वाद ही निष्फल हो जावेगा। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा जारी टी.आई. दिनांक 02.06.2023 को वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.06.2023 को जारी टी.आई. को वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे तहसील सूरतगढ़ के चक 5 बी.जे.डब्लयू.–ा की जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 74 के खाता संख्या 33/34 की कुल 17.890 हैक्टर खातेदारी भूमि में अप्रार्थी सं. 1 के नाम 1/4 हिस्सा यानि 4.4725 हैक्टर भूमि को रहन, बैय एवं अन्य तरीके से हस्तातंरण ना करें तथा मौका की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़